कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-mail :nodalofficerddn@gmail.com Phone/ Fax: 0135-2767611

संख्याः– 2273 FP/UK/ROAD/21335/2016 देहरादूनः दिनांकः 2 मार्च, 2021

सेवा में,

प्रभारी सचिव,
वन अनुभाग–3,
उत्तराखण्ड शासन।

विषयः– जनपद–उत्तरकाशी में राज्य योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड चिन्यालीसौड के बनगांव चापडा–कसलाना मोटर मार्ग का विस्तार कार्य निर्माण हेतु 7.152 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

(Online Proposal No- FP/UK/ROAD/21335/2016)

महोदय,

उपरोक्त विषयक परियोजना हेतु अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, चिन्यालीसौड़, उत्तरकाशी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत 7.152 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु वन भूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। प्रस्ताव पर राजस्व विभाग/ प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी एवं प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट (उत्तरकाशी) तथा वन संरक्षक, भागीरथी वृत, मुनिकीरेती एवं वन संरक्षक, यमुना वृत्त, देहरादून द्वारा भी सहमति प्रदान की गयी है। उक्त परियोजना के ऑनलाईन भरे गये पार्ट–II में अंकित की गई सूचना के अनुसार वन भूमि में विभिन्न प्रजाति के 345 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं।

अतः प्रस्ताव के प्रपत्र भाग–**I** से भाग–**III** एवं प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी द्वारा भरे जाने वाले प्रपत्र भाग–**IV** पर संस्तुति कर संलग्न कर इस आशय से प्रेषित किये जा रहे हैं कि कृपया प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त करने हेतु भारत सरकार को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,
(डी0जे0के0 शर्मा) 2/3/21
प्रमुख वन संरक्षक
कार्या0–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या / FP/UK/ROAD/21335/2016 तद्‌दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक भारत सरकार पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, (उत्तर–मध्य क्षेत्र), 25 सुभाष रोड़, देहरादून को प्रस्ताव की मूल प्रति एवं पार्ट । से IV तक संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।
2. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
3. मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल, पौड़ी।
4. वन संरक्षक, भागीरथी वृत, मुनिकीरेती।
5. वन संरक्षक, यमुना वृत्त, देहरादून।
6. जिलाधिकारी, जनपद–उत्तरकाशी।
7. प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी ।
8. प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट (उत्तरकाशी)।
9. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, चिन्यालीसौड़, उत्तरकाशी।

(डी0जे0के0 शर्मा)
प्रमुख वन संरक्षक
कार्या0–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

भाग–IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये)

परियोजना का नामः–जनपद–उत्तरकाशी में राज्य योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड चिन्यालीसौड के बनगांव चापडा–कसलाना मोटर मार्ग का विस्तार कार्य निर्माण हेतु 7.152 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

(Online Proposal No- FP/UK/ROAD/21335/2016)

जनपद–उत्तरकाशी में राज्य योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड चिन्यालीसौड के बनगांव चापडा–कसलाना मोटर मार्ग का विस्तार कार्य निर्माण हेतु 7.152 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किया जाना प्रस्तावित है। उक्त प्रस्ताव में **6.522** हे0 आरक्षित वन भूमि तथा **0.63** है0 सिविल सोयम भूमि अर्थात कुल **7.152** है0 वन भूमि का हस्तान्तरण निहित है। प्रस्ताव पर राजस्व विभाग, जनपद–उत्तरकाशी / प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी एवं प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट (उत्तरकाशी) तथा वन संरक्षक, भागीरथी वृत, मुनिकीरेती एवं वन संरक्षक, यमुना वृत्त, देहरादून द्वारा भी प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गयी है। उक्त परियोजना के ऑनलाईन भरे गये पार्ट–II में अंकित की गई सूचना के अनुसार वन भूमि में विभिन्न प्रजाति के 345 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं।

अतः प्रस्ताव पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त करने हेतु संस्तुति प्रदान की जाती है।

नाम व पदनामः
हस्ताक्षरः

(डी0जे0के0 शर्मा)
प्रमुख वन संरक्षक
कार्या0–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

सरकारी मोहरः

D. J. K. SHARMA
Principal Chief Conservator
of Forest Uttarakhand

तिथि : 02/03/2021
स्थान : देहरादून